न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।

(पीठ)

पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र संख्या–10/2010–11 अन्तर्गत आदेश–47 सपठित धारा–151 सिविल प्रक्रिया संहिता

श्री राय सिंह –बनाम– श्रीमती रीना देवी आदि

कोरम :

1.श्री सुनील कुमार मुट्टू, आई0ए0एस0,अध्यक्ष

2.श्री पी0एस0 जंगपांगी, आई0ए0एस0, सदस्य(न्यायिक)

प्रस्तुतकर्ता अधिवक्तागण :

प्रार्थी की ओर से : श्री विजय कुमार गुप्ता।

प्रतिवादीगण की ओर से : श्री प्रेमचन्द्र शर्मा।

बावत

खसरा नम्बर 950 रकबा 0.4180 है0, खसरा नम्बर 951क रकबा 0.0960 है0, खसरा नम्बर 955 रकबा 0.3280 है0, खसरा नम्बर 956ख रकबा 0.170 है0, खसरा नम्बर 958ग रकबा 0.5100 है0 कुल रकबा 1.396 है0 मौजा–बालूवाला, परगना पछवादून, तहसील विकासनगर, जनपद देहरादून

निर्णय

यह पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र विद्वान अपर मुख्य राजस्व आयुक्त द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत जमींदार विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत निगरानी संख्या–109/2008–09 श्री राय सिंह बनाम श्रीमती रीना देवी आदि में पारित निर्णयादेश दिनांक 20 जून, 2011 के सापेक्ष प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में प्रकरण का इतिहास इस प्रकार है :– विद्वान सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, विकासनगर के न्यायालय में लम्बित वाद संख्या–64 वर्ष 2003–04 अन्तर्गत धारा–176/178 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम राय सिंह बनाम सतपाल आदि में प्रतिवादी की ओर से जबाव दावे में संशोधन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 व 151 सिविल प्रक्रिया संहिता दिनांक 07–05–2007 को अपने आदेश दिनांक 27–06–2007 से स्वीकार किया गया। जबाव दावे में संशोधन न किए जाने के फलस्वरूप प्रतिवादी द्वारा संशोधन की अनुमति प्रदान किए जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को विद्वान सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, विकासनगर ने आदेश दिनांक 09–06–2009 से रू0 100–00 विलम्ब शुल्क सहित स्वीकार किया। सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, विकासनगर के आदेश दिनांक 27–06–2007 एवं 09–06–2009 के विरूद्व विद्वान अपर मुख्य राजस्व आयुक्त के समक्ष उपरोक्त निगरानी प्रस्तुत की गई जिसे इस विवेचना सहित निरस्त किया गया कि– " सहायक कलेक्टर द्वारा पारित आदेश अन्तरिम आदेश हैं और अन्तरिम आदेश के विरूद्व निगरानी पोषणीय नहीं है। अवर न्यायालय में अभी वाद विचाराधीन है और पक्षकारों को इस वाद में साक्ष्य एवं सुनवाई का पर्याप्त अवसर विद्यमान है। निगरानी पोषणीय न होने के कारण

निरस्त की जाती है।" इस आदेश से क्षुब्ध होकर प्रार्थी की ओर से यह पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

पीठ द्वारा उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना एवं अभिलेखों का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में पुनर्विलोकनकर्ता द्वारा धारा–176/178 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया गया था। प्रतिवादी ने आदेश–6 नियम 17 व 151 सिविल प्रकिया संहिता के अन्तर्गत प्रतिवाद पत्र में संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र दोनों पक्षों के साक्ष्य समाप्त होने के उपरान्त बहस के स्तर पर प्रस्तुत किया जिसमें प्रतिकूल कब्जे का तथ्य भी सम्मिलित किया गया था। इस प्रार्थना पत्र पर वादी के अधिवक्ता द्वारा अपनी आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु समय की याचना की गई। अवर न्यायालय के आदेश पत्र में इस आपत्ति पत्र का कोई उल्लेख नहीं किया गया। दिनांक 27–06–2007 को वाद बहस हेतु नियत था परन्तु अवर न्यायालय ने संशोधन प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। जबावदावे में संशोधन न होने पर प्रतिवादी ने जबाव दावे में संशोधन हेतु अनुमति मांगी गई जिसे स्वीकार कर लिया गया जबकि संशोधन 15 दिन के अन्तर्गत हो जाना चाहिए। अवर न्यायालय के इन आदेशों के विरूद्व अपर मुख्य राजस्व आयुक्त के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई थी जिसे पुनर्विलोकनकर्ता/निगरानीकर्ता के अधिवक्ता की अनुपस्थिति में प्रतिवादी के अधिवक्ता के तर्कों के आधार पर निरस्त कर दी गई एवं निगरानी का निस्तारण तद्नुसार गुणदोष पर नहीं हो पाया है। संशोधन हेतु समय सीमा बढ़ाये जाने का कोई विधिक आधार नहीं है। निगरानी जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई थी जिसे गुणदोष पर निर्णीत होना था। अपने कथनों के समर्थन में अधिवक्ता पुनर्विलोकनकर्ता द्वारा 2013 आर0डी0(121) पृष्ठ 97 इलाहाबाद उच्च न्यायालय की विधिक व्यवस्था भी प्रस्तुत की गई।

विद्वान अधिवक्ता प्रतिउत्तरदाता के तर्क इस प्रकार हैं कि वादी की ओर से दावा कई बार संशोधित हुआ है। दिनांक 07–05–2007 को संशोधन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसकी प्रति वादी को उसी दिन प्राप्त करा दी गई परन्तु कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं हुई जिसके कारण अवर न्यायालय द्वारा संशोधन प्रार्थना पत्र दिनांक 27–06–2007 को स्वीकार कर लिया गया। स्वीकृत संशोधनों को जबाव दावे में सम्मिलित करने में तत्समय अधिवक्ता की चूक एवं कुछ पक्षकारों की मृत्यु होने के कारण उनके प्रतिस्थापन आदि की कार्यवाही के कारण विलम्ब हुआ। जबाव दावे में संशोधन न किए जाने के कारण दिनांक 09–06–2009 को अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसे न्यायालय द्वारा रू0 100–00 विलम्ब शुल्क सहित स्वीकार किया गया था जिसे वादी द्वारा प्राप्त भी किया गया। उनके अनुसार सक्षम न्यायालय को धारा–148 व्यवहार प्रकिया संहिता के अधीन स्वीकृत संशोधन को अभिवचनों में सम्मिलित कराने के लिए विवेकाधीन अधिकार प्राप्त हैं। इन आदेशों के विरूद्व

हमारा यह मत है कि विलम्ब से ही सही सारवान न्याय के लिये अभिवचनों में संशोधन अनुमन्य किया जाना अनुचित नहीं है। प्रश्नगत वाद की कार्यवाही अभी विचारण स्तर पर है अतः उस स्थिति में जबावदावे में स्वीकृत संशोधन उल्लिखित कराकर विद्वान सहायक कलेक्टर ने कोई त्रुटि नहीं की है। दूसरी ओर इस हेतु प्रार्थी/वादी को हर्जा भी अदा किया गया है यद्यपि उसकी प्राप्ति विवादित है परन्तु जिसके संबंध में विचारण न्यायालय स्तर पर ही विरोध किया जाना चाहिये था। व्यवहार में यह देखा गया है कि अभिवचनों का संशोधन निगरानी अथवा अपीलीय स्तर पर भी उचित आधारों पर अनुमन्य किया जाता है। वर्तमान प्रकरण में तो विचारण स्तर पर संशोधन अनुमन्य किया गया है अतः इस संबंध में अति संवेदनशीलता उचित नहीं है।

जहां तक 2013 (121) RD 97में उद्धरित मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्त का प्रश्न है हमारी इस संबंध में मत विभिन्नता नहीं है इसीलिये पुनर्विलोकन प्रार्थना ग्रहण कर उसका सम्यक निस्तारण किया जा रहा है।

हमें इस तथ्य से अत्यन्त आश्चर्य हुआ है कि विलम्ब से लाये गये प्रश्नगत संशोधन से प्रतिवादी गण के अभिवचन सारवान रूप से परिवर्तित हुये हैं अर्थात प्रतिवादीगण विवादित भूमि पर अनन्य रूप से अपने कब्जा में होने का कथन प्रस्तुत कर रहे हैं जबकि ऐसे कथन/अभिवचन प्रारम्भिक स्तर में प्रतिदावे (Counter Claim) के रूप में स्पष्ट रूप से करना चाहिये था तथापि जो भी हो संशोधन अनुमन्य हो गया है अतः इसमें हस्तक्षेप का अवसर इस स्तर पर नहीं है। सारवान रूप से वाद निस्तारित होने में उभयपक्ष का हित निहित है। आक्षेपित आदेश का प्रभावी अंश तदनुसार अपरिवर्तित रह जाता है।

<u>आदेश</u>

उपर्युक्त विवेचना के आलोक में पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र अस्वीकृत किया जाता है परन्तु प्रार्थी/निगरानीकर्ता को प्रतिवादपत्र संशोधन के सापेक्ष अतिरिक्त अभिवचन प्रस्तुत करने हेतु विचारण न्यायालय युक्तियुक्त समय अवश्य प्रदान करे।

(पी0एस0 जंगपांगी)
सदस्य (न्यायिक)।

(सुनील कुमार मुद्दू)
अध्यक्ष।

आज दिनांक 30.01.2014 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(पी0एस0 जंगपांगी)
सदस्य (न्यायिक)।